

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, पाटन बनाम

गै.मु.रास्ता (भगेश्वर)

(भगेश्वर के नन्दूवाला की ढाणी में भगेश्वर फूड एग्री के पास से जाने वाला रास्ता)

किस्म मुकदमा :- गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132

मु0नं0 793 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1554

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

11-12-2025

पत्रावली तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ./2025/1931 दिनांक 10.11.2025 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पाटन ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार, पाटन को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम भगेश्वर पटवार मण्डल डोकन तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नम्बर 788 रकबा 1.11 हैक्ट. किस्म बाराणी-3 मे से 0.05 हैक्ट., खसरा नम्बर 913/791 रकबा 1.4968 किस्म बंजड़ मे से 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 792 रकबा 0.18 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.01 हैक्ट. का कुल चौड़ाई 05 मीटर व लम्बाई 320 मीटर रास्ता (भगेश्वर के नन्दूवाला की ढाणी में भगेश्वर फूड एग्री के पास से जाने वाला रास्ता) का प्रस्ताव तहसीलदार पाटन से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत डोकन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, सहमती पत्र संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहित के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। उक्त गै.मु.

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (राज.)



रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, पाटन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पाटन को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(Handwritten signature)

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी, —

नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी

राज. का थाना (राज.)